झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

सं0 सं0:- 12/रिनपास-02-06/12 (खण्ड)- 76(18) /स्वा0 राँची दिनांक 03/06/2019

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध संस्थान (रिनपास) बिहार गजट के असाधारण अंक 30 सितम्बर 1994 द्वारा अधिसूचित स्वायतशासी संस्थान के निदेशक की नियुक्ति नियमावली गठित की जाती हैः-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षित नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः-

(i) यह नियमावली राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2019 कही जाएगी।

(ii) यह नियमावली राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) के निदेशक पद के लिए लागू होगी।

(iii) इसका विस्तार झारखण्ड राज्य में रिनपास राँची तथा इसके अन्य इकाइयों में होगा।

(iv) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएः-

(i) **राज्यः-** राज्य से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।

(ii) **संस्थान-** संस्थान से अभिप्रेत है राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) राँची।

(iii) **विभागः-** विभाग से अभिप्रेत है स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

(iv) **निदेशकः-** निदेशक से अभिप्रेत है रिनपास संस्थान का निदेशक।

(v) **प्रबंधकारिणी समितिः-** प्रबंधकारिणी समिति से अभिप्रेत है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में गठित संस्थान की प्रबंधकारिणी समिति अनुसूची-1।

(vi) **नियुक्ति प्राधिकारः-** रिनपास के निदेशक पद पर नियुक्ति स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा किया जायेगा।

(vii) **चयन समिति-** चयन समिति से अभिप्रेत है, निदेशक रिनपास की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा इस हेतु गठित समिति।

अध्याय-2

3. सेवा शर्त

निदेशक रिनपास के पद के लिए वेतन संरचना निम्नवत होगीः-

क्र.सं.	संस्थान	छठा केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान	सातवां केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान
1.	रिनपास, काँके, रांची	PB-IV 37400-67000 G.P. 10000	Level-14 न्यूनतम वेतन Rs.1,44,200/-

अध्याय-3

4. निदेशक रिनपास के पद पर नियुक्ति

(अ) निदेशक रिनपास के पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता एवं योग्यताः

1. अधिकतम उम्र सीमा : 60 वर्ष
2. अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोचिकित्सा / तंत्रिकाविज्ञान विषय में चिकित्सकीय स्नातकोत्तर की डिग्री (Post Graduate Medical Degree) जो एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश के आलोक में हो।
3. अनुभव : स्वास्थ्य विभाग (राज्य सरकार या भारत सरकार) के अन्तर्गत किसी भी मनोचिकित्सा संस्थान / चिकित्सा महाविद्यालय के मनोचिकित्सा विभाग में शिक्षण, शोध कार्य एवं / या

76(12)

881

व्यावहारिक अनुभव जिसमें केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी भी मनोचिकित्सा संस्थान / चिकित्सा महाविद्यालय में 5 वर्षों का प्राध्यापक / अपर प्राध्यापक के पद पर कार्यानुभव एवं कुल कार्यानुभव कम से कम 15 वर्षों का।

4. नियुक्ति प्रणाली : सीधी नियुक्ति / स्थानान्तरण पर प्रतिनियुक्ति

5. नियुक्ति की अवधि : नियुक्ति की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले आयेगा।

6. वेतन : PB-IV 37400-67000 G.P. 10000 छठा केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान (Level-14 न्यूनतम वेतन Rs.1,44,200/- सातवां केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान).

(ब) चयन प्रक्रिया : रिनपास के निदेशक का चयन साक्षात्कार के उपरान्त चयन समिति द्वारा सभी योग्य अभ्यर्थियों में से किया जायेगा। चयन समिति निम्नवत होगा:-

(क) विकास आयुक्त, राँची सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति, रिनपास, कांके राँची - अध्यक्ष

(ख) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार - सदस्य सचिव

(ग) निदेशक, निमहांस, बंगलोर या उनके द्वारा मनोनित सदस्य - सदस्य

(घ) निदेशक, ईहभास (IHBAS), दिल्ली या उनके द्वारा मनोनित सदस्य - सदस्य

(ङ) विभागाध्यक्ष, मनोचिकित्सा विभाग, एम्स, नई दिल्ली या उनके द्वारा मनोनित सदस्य - सदस्य

(च) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के लिए मनोनित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि - सदस्य

76(12)
03/06/2019

(880)

अध्याय-4

विविध

1. **प्रशासनिक नियंत्रण:-** रिनपास के निदेशक पद पर प्रशासनिक नियंत्रण स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा किया जायेगा।
2. **अनुशासनिक कार्रवाई:-** रिनपास के निदेशक पद पर अनुशासनिक कार्रवाई स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा किया जायेगा।
3. **गैर व्यवसायिक भत्ता:-** रिनपास के निदेशक का पद अनिवार्य रूप से गैर व्यवसायिक पद होंगे। निदेशक को राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार अनुमान्य गैर व्यवसायिक भत्ता देय होगा।
4. **आवास:-** निदेशक रिनपास को निःशुल्क आवास राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
5. **नियमों में परिवर्तन / संशोधन का अधिकार:-** इस नियमावली में यथा आवश्यक परिवर्तन / संशोधन स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड सरकार के द्वारा किया जा सकेगा।

प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 28.05.19 को मद सं 05 के रूप में प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(ह०)

(डॉ0 नितीन मदन कुलकर्णी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 12/रिनपास-02-06/12 (खण्ड)- 76(12) स्वा0/रांची, दिनांक : 03/06/2019

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई0गजट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,रांची/ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय,डोरण्डा,रांची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(ह०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 12/रिनपास-02-06/12 (खण्ड) - 76(12) स्वा0/रांची, दिनांक : 03/06/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार,झारखण्ड,रांची/ माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी/ मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/योजना-सह-वित विभाग/विधि(न्याय) विभाग/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 12/रिनपास-02-06/12 (खण्ड) 76(12) स्वा0/रांची, दिनांक : 03/06/2019

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव,स्वा0 विभाग, झारखण्ड,रांची/ निदेशक,रिनपास,कांके,रांची/ निदेशक, निमहांस, बंगलोर/ निदेशक, ईहभास (IHBAS), दिल्ली/ विभागाध्यक्ष, मनोचिकित्सा विभाग, एम्स, नई दिल्ली/अपर सचिव/सभी सयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/ सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं अवश्यकता कारवाई हेतु प्रेषित।

(ह०)
सरकार के सचिव

(879)

अनुसूची-1

प्रबंधकारिणी समिति

(i)	**बिकास आयुक्त** , राँची	अध्यक्ष
(ii)	**अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव** स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, रांची	सदस्य
(iii)	**जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त राँची**	सदस्य
(iv)	**वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची** (एस0एस0पी, राँची)	सदस्य
(v)	झारखण्ड सरकार के द्वारा मनोनित दो नॉन-ऑफिशियल मेम्बर्स (कम से कम उनमें एक महिला)।	सदस्य
(vi)	झारखण्ड सरकार के द्वारा मनोनित एक बिख्यात मनोचिकित्सक और एक एन०जी०ओ० के प्रतिनिधि	सदस्य
(vii)	**निदेशक,** रिम्स , राँची।	सदस्य
(viii)	**निदेशक,** रिनपास, काँके, राँची।	सदस्य सचिव

76(12)
03/06/2019

सरकार के सचिव